

संख्या-205सी 0540/26-3-97-11351/97

प्रेमक,

प्रो. हनु रवरी
विशेष सचिव,
उद्योग विभाग

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
लखनऊ

10/2/97
16-7-97

समाज कल्याण अनु-3 लखनऊ: दिनांक 15 जुलाई, 1997

विषय:- छत्राति श्री शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के लिये पदों का तृतीया एवं संस्था के संयोजक/अधीक्षक की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अर्पण सं. सं. 0318/सक/विकास/97-98 दिनांक 30.5.97 के संदर्भ में मुझे यह कडने का निदेश हुआ है कि छत्राति श्री शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के लिये महामहिम श्री राज्यपाल निम्नलिखित विभिन्न कोटि के 27 अस्थायी पदों, जिसका वेतनमान उनके सम्मुख अंकित है, के शासनादेश निर्माण होने की तिथि से जल्द भरे जाने की तिथि से दिनांक 20.02.1998 तक तृप्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन पद धारकों को वेतन के अनिश्चित शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत अन्य शर्तों को विषयानुसार देय हो, अनुमन्य है:-

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1-	निदेशक	एक	संविदा के आधार पर
2-	अपर निदेशक	एक	इस पद को सम्पत्ति आई 050510/पी 050510 अधिकारी को प्रतिनिधित्व पर लेकर भरा जायेगा। यदि किसी समय पूर्णकालिक निदेशक की तैनाती की जाती है तो अपर निदेशक का पद स्वतः समाप्त हो जायेगा।
3-	संयुक्त निदेशक	एक	3700-125-4700-150-5000
4-	अप निदेशक	एक	3000-100-3500-125-4500
5-	सहायक अधिकारी	एक	2200-75-2800-100-4000
6-	सहायक प्रोग्रामर	एक	2000-60-2300-द. री. -75-3200
7-	छात्रावास अधीक्षक	एक	1600-50-2300-द. री. -60-2660
8-	लाइब्रेरियन	एक	1350-30-1440-40-1800-द. री. -50-2200
9-	आशुलिपिक	एक	1400-40-1600-50-2300-द. री. -60-2600
10-	आशुलिपिक	एक	1220-30-1560-द. री. -40-2040

330/क
16-7-97

16-7-97

अधीक्षक (वि.स.क.)

16-7-97

11-वरिष्ठ लिपिक	एक	1200-30-1560-द. री. -40-2040
12-लेखा लिपिक	एक	1200-30-1560-द. री. -40-2040
13-व्यवस्थापक	एक	1400-40-1600-50-2300-द. री. -2600
14-कनिष्ठ लिपिक	दो	950-20-1150-द. री. -25-1500
15-वाहन चालक	एक	950-20-1150-द. री. -25-1500
16-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	चार	750-12-870-द. री. -14-940
17-माली	एक	750-12-870-द. री. -14-940
18-कम्पाउण्डर	एक	775-25-1150-द. री. -30-1660
19-एलेक्ट्रीशियन	एक	775-12-871-द. री. -14-1025
20-नर्सिंग असिस्टेंट	एक	775-12-871-द. री. -14-1025
21-चौकीदार	तीन	निजी सुरक्षा एजेंसी से भंगतान के आधार पर व्यवस्था की जायेगी।

2- उक्त पदों पर दो माह में होने वाला अनुमानित आर्थिक व्यय
 ₹ 2.15 लाख, प्रवक्ताओं के दो माह के मान्देय के लिये ₹ 0.40 लाख तथा
 मशीनें और साज सज्जा/उपकरण एवं संबंधित लम्पसुम में दिये गये विवरणानुसार के लिए
 ₹ 5.17 लाख कुल ₹ 7.72 लाख 100 सात लाख बहत्तर हजार मात्रा की
 पुरवठा के व्यय की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उपर्युक्त व्यय के लिये वार्षिक वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय व्ययक में
 व्यवस्था नहीं है और चूंकि यह व्यय आवश्यक एवं अपरिहार्य है। अतः इस प्रयोजन
 हेतु भी राज्यालय राज्य आकस्मिकतानिधि से ₹ 7.72 लाख 100 सात लाख बहत्तर
 हजार मात्रा अग्रिम आहरित किये जाने की स्वीकृति भी प्रदान करते हैं।

4- उपर्युक्त व्यय प्रयोजन: "8000-राज्य आकस्मिकतानिधि" के नामे डाला
 जायेगा और अन्ततः अनुदान सं०-00 सेवाश्रीपक-2225-अनुसूचित जाति, जनजाति के
 कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-श्रीवा-आयोजनागत-19-उन्नति
 श्री साहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ की स्थापना के अंतर्गत सुसंगत
 इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5- उपरोक्त पदों के दिनांक 28.2.98 से अग्रे चलते रहने की दशा में इनकी
 पेंशनवर्ष निरन्तर निर्देशक, समाज कल्याण से प्रस्ताव प्राप्त होने पर शर्तार्थन द्वारा
 जारी की जायेगी।

6- उक्त पदों को भरने के संबंध में शासन द्वारा समय समय पर जारी किये

.. 3..

गये आदेशों/निर्देशों का बड़ाई से पालन किया जाएगा।
भवदीय,

मोहन स्वल्प
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त विभाग
संख्या-ई-12/सी०एफ०-०८/एन-1997
दिनांक - 14 जुलाई, 1997

प्रतिलिपि महालेखाकार, जेआ प्रम/आर्डि प्रम, 3090, इलाहाबाद को
सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मधु भावर
अनु सचिव

संख्या-205सी०एफ० 11/26-3-97 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1। महालेखाकार, 3090, इलाहाबाद।
- 2। कोषाधिकारी, देवरवाग, लखनऊ
- 3। वित्त। वेतन आयोजना अनुभाग, 3090, एरान।
- 4। वित्त। ध्यम नियंत्रण। अनुभाग-12, 30, 08 एरान।
- 5। वित्त। आय व्ययक। अनुभाग-2, 3090 एरान।
- 6। गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मोहन स्वल्प
विशेष सचिव